

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.8(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा) / राज.विज्ञान (छात्र) / 2015-16 / पार्ट / 1240 दिनांक: 23.08.2018 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - संस्कृत पे मैट्रिक्स लेवल L-12 पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक संस्कृत (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - संस्कृत के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (12) डीओपी / ए-11 / 2005 दिनांक: 20.01.2006 एवं एफ 12 (06) एफडी (नियम) / 2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प 8 (1) कार्मिक/क - 2/03 दिनांक: 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

क्रसं	सेरि नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	स्थायी पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	जिला
1	0	AATMA RAM GURJAR	PARMA NAND GURJAR	SB, RG	15-06- 1984	ग्रा. वाली, पो. डोण्डा, त. झालरापाटन, जिला झालावाड	-	GGSSS, BHANWAR BAI DUPIYA RAIPUR, SUNEL (08320503519 (JHALRAPATAN)	Jhalawar

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:

01. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
02. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
03. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी.बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक/क-2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवायें।
04. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
05. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

06. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
07. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.08.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
08. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.raajasthan.gov.in/Secondary> एवं <http://rajirmsa.nic.in> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्प्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्यधीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक: 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय संस्कृत (छात्र) के पूर्व घोषित परीक्षा दिनांक: 29.05.17 के अतिक्रमण में दिनांक: 08.06.18 को जारी किये गये नवीनतम परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 08.09.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी। उक्त नियुक्तियाँ पूर्णतया अस्थायी (temporary) आधार पर रहेंगी तथा नियुक्त अभ्यर्थी संबंधित पद पर स्थाईकरण (confirmation) का अधिकारी नहीं होगा।



(नधमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-संस्कृत/पीएससी-15/2018

दिनांक :- 28/08/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
02. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2)/कार्मिक (गुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
03. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II)
05. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
06. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
07. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।
08. निजी/रक्षित पत्रावली



नियुक्त-निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/राज. विज्ञान(छात्र)/2015-16/पार्ट/1240 दिनांक: 23.08.2018 एवं 1241 दिनांक 24.08.2018 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - संस्कृत पे मैट्रिक्स लेवल L-12 पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक संस्कृत (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - संस्कृत के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (12) डीओपी / ए-11 / 2005 दिनांक: 20.01.2006 एवं एफ 12 (06) एफडी (नियम) / 2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी / रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कर्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8 (1) कर्मिक/क - 2/03 दिनांक: 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:

01. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
02. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
03. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी.बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कर्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कर्मिक/क-2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवायें।
04. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
05. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
06. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवायें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

07. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
08. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवं कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajasthan.gov.in/Secondary> एवं <http://rairmsa.nic.in> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्प्टन गुरुविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्येक्षीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या 14306-14310/2017 पारित आदेश दिनांक: 03.05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय संस्कृत (छात्र) के पूर्व घोषित परणाम दिनांक: 29.05.17 के अतिक्रमण में दिनांक: 08.06.18 को जारी किये गये नवीनतम परणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 08.09.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न- 10 अभ्यर्थी की सूची।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-संस्कृत/पीएससी-15/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 28/08/2018

01. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
02. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
03. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
04. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
05. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
06. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
07. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।
08. निजी/रक्षित पत्रावली



अनुवृत्त-निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,

बीकानेर

क्र.सं.	भेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	स्थायी पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	जिला
1	215	SURBHI GAHLOT	GANESHI LAL GAHLOT	BC, WE	14-07-1989	द्वारा श्री जेठाराम गहलोत, रामदेव जी मंदिर के पास, सुथारों का मोहल्ला, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर	OBCF	GOVT.SR.SEC.SCH. RAISINGHNAGAR, RAISINGHNAGAR (08010797401)	Ganganagar
2	317	NEETU KUMARI MEENA	KAILASH CHAND MEENA	ST, W E, RG	01-07-1991	ग्रा.पो. ढहरिया, त. नादोती, जिला करौली	STF	Govt Senior Sec.Sch. SAHER, NADOTI (08090400706)(TODABHIM (ST))	Karauli
3	115	HARISH KUMAR GAOUTAM	RAMESH CHAND GAOUTAM	GE, R G, NG	08-08-1988	गाँव-पुरा गुलाब सिंह, पो. दतुली, त. बौली, सवाई माधोपुर	GEN M	GOVT. SR. SEC. SCH., GHATOL, GHATOL (08280100128)	Banswara
4	127	SUNIL HARIT	JAGADISH PRASAD SHASTRI	GE	10-11-1984	वार्ड नं. 16, राममंदिर, के पास, टांटिया कुआ, जी. वी. एम. रोड, सरदारशहर, धूरु	GENM	GOVERNMENT GIRLS SENIOR SEC. SCH. TALWARA, TALWARA (08280300131)(GARHI (ST))	Banswara
5	178	KRIPA SHANKER NAGAR	RADHE SHYAM	BC, R G	05-10-1982	ग्रा. सीनोला, त. पीपलदा, जिला कोटा	OBCM	GOVT SENIAR SECONDRY SCHOOL AJNAVAR, CHHIPABAROD (08310500105)(CHHABRA)	Baran
6	204	CHANDRA SHEKHER	PREM SHANKAR SAHU	BC, R G	24-12-1982	मुख्य बाजार, सुमेरगज मण्डी, त. इन्द्रगढ, जिला बून्दी	OBCM	G.G.SR.SEC. SCH. CHHIPABAROD, CHHIPABAROD (08310516257)(CHHABRA)	Baran
7	221	RAMAVTAR PRAJAPATI	GHASI RAM	BC, R G	22-06-1987	ग्राम थला, त. फागी, जिला जयपुर	OBCM	G.SR.SEC.SCH. SENAWASA, GHATOL (08280102201)	Banswara
8	224	CHHETAR MAL JAT	RAM NATH JAT	BC, R G	01-06-1982	ढापी झीलावाली, त. सालवाडी, पो. नृसिंहपुरी, बाया गुहला, जिला सीकर	OBCM	G.SR.S.CHIROWALA GHARA, GHATOL (08280103602)(GHATOL (ST))	Banswara

Handwritten signature/initials

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-संस्कृत/पीएससी-15/2018 दिनांक : 28.08.2018

क्रसं	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	स्थायी पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	जिला
9	298	DAYA RAM MEENA	RAGHUNATH MEENA	ST.R G	06-04-1989	ग्रा. क्यासा, पो. सूरतगढ, त. थानगाजी, जिला अलवर	STM	GOVT.SR.SEC. SCHOOL- SAGROD, TALWARA (08280307805)	Banswara
10	310	BHARAT LAL MEENA	GOVERDHAN MEENA	ST.R G,NG	01-07-1987	ग्रा. जयमोदा, पो. बगीना, त. चौथ कः बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर	STM	G.SR. SEC. SCH. KACHNARIYA KALAN, CHHIPABAROD (08310500803) (CHHABRA)	Baran



(नथमल डिडेल)

आई ए एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर